TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

....

New Delhi, the 12th October, 1998

NOTIFICATION

INCOME-TAX

S.O (E). In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) , Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 , --

(a) after rule 2BB, the following rule shall be inserted, namely:-

"**2BC. Amount of annual receipts for the purposes of sub-clauses (iiiad) and (iiiae) of clause (23C) of section 10.** - (1) For the purposes of sub-clause (iiiad) of clause (23C) of section 10, the amount of annual receipts on or after the 1st day of April, 1998, of any university or other educational institution, existing solely for educational purposes and not for purposes of profit, shall be one crore rupees.

(2) For the purposes of sub-clause (iiiae) of clause (23C) of section 10, the amount of annual receipts on or after the 1st day of April, 1998, of any hospital or other institution for the reception and treatment of persons suffering from illness or mental defectiveness or for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation, existing solely for philanthropic purposes and not for purposes of profit, shall be one crore rupees.";

(b) after rule 2C, the following rule shall be inserted, namely:-

"**2CA. Guidelines for approval under sub-clauses (vi) and (via) of clause (23C) of section 10.** - (1) The prescribed authority under sub-clauses (vi) and (via) of clause (23C) of section 10 shall be the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963) to whom the application shall be made as provided in sub-rule

(c) after rule 2D, the following rule shall be inserted, namely :-

"**2E. Guidelines for approval under clause (23G) of section 10.** - (1) An application for approval shall be made on or after the 1st day of June, 1998 in Form No. 56E by an enterprise to the Central Government.

(2) Every application for approval made under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, namely:-

(a) a copy of certificate of incorporation under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a copy of the document evidencing the constitution of the enterprise and its legal status;

(b) a copy of the project report or agreement in respect of the infrastructure facility duly approved by the Central Government or any State Government or any local authority or any other statutory body, as the case may be;

(c) balance sheets and profit and loss accounts for the three previous years immediately preceding the previous year in which the application has been made and also for the relevant part of the previous year in which the application has been made :

Provided that an application made under sub-rule (1) may be accompanied by the balance sheets and profit and loss accounts for less than three previous years where an enterprise has been formed at any time during the three previous years immediately preceding the previous year in which the application has been made and also for the relevant part of the previous year in which the application has been made.

(3) The Central Government shall approve an enterprise for the purposes of clause (23G) of section 10, if such enterprise is wholly engaged in the business of developing, maintaining and operating any infrastructure facility.

(4) The Central Government may, before approving an enterprise, call for such documents (including audited annual accounts) or information from the enterprise, as it thinks necessary in order to satisfy itself that such enterprise is wholly engaged in the business of developing, maintaining and operating an infrastructure facility and that Government may also make such enquiries as it may deem necessary in this behalf.

(5) The Central Government shall pass an order in writing while granting approval or refusing approval to the enterprise :

Provided that no order refusing the approval shall be passed unless an opportunity of being heard has been given to the enterprise.

(6) The approval of the Central Government under sub-rule (5) shall at any one time

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7); or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7).

Explanation:- For the purposes of this rule, -

(a) the expression "enterprise" means any enterprise wholly engaged in the business of developing, maintaining and operating any infrastructure facility;

(b) the expression "infrastructure facility" shall have meaning assigned to it in clause (c) of Explanation to clause (23G) of section 10.".

3. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, after Form No. 56C, the following Forms shall be inserted, namely :-

"FORM NO.56D

[See rule 2CA]

Application for grant of exemption or continuance thereof under section 10(23C)(vi) and (via) for the year ....

1. Name and address of registered office of the University or other educational institution or the hospital or other medical institution referred to in sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10.

2. Legal status, whether trust, registered society/others. Please enclose a copy of the certificate of registration/relevant document evidencing legal status.

3. Objects of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1.

4. Names and addresses of the trustees/office bearers

5. Geographic area over which the activities of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 are performed. Enclose details of work done in different places with addresses of branch offices and names and addresses of office bearers in these places.

6. Enclose copies of memorandum of association, articles of association, trust deed, rules/regulations of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1.

8. Has the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 received any donations from a foreign country to which provisions of Foreign Contribution (Regulations) Act, 1976, applies? Give details.

9. Give assessment particulars:-
   (i) Ward/Circle of jurisdiction and the last income returned and assessed with permanent account number/GIR number.
   (ii) Is the income exempt under section 11 ?
   (iii) Is any recovery of tax, etc., outstanding against the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 ?
   (iv) Whether any penalties have been initiated/levied?

10. Total income including voluntary contributions, if any, of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 for the previous year relevant to the assessment year for or from which the exemption is sought.

11. Amount of income referred to above that has been or deemed to have been utilised wholly and exclusively for the objects of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 (income deemed to have been utilised shall have the meaning assigned to it in sub-sections (1) and (1A) of section 11).

12. Amount accumulated for the objects mentioned in column 3 above.

13. (i) Details of modes in which the funds of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 are invested or deposited showing the nature, value and income from the investment;
   (ii) Details of funds not invested in the modes specified in section 11(5):

Sl.No.	Name and address of the concern	In the case of a company, number and class of shares held	Nominated value of the investment	Income from the investment
1	2	3	4	5

16. Details of shares, securities or other property purchased by or on behalf of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 from any interested person as specified in sub-section (2) of section 13.

17. Whether any part of the income or any property of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 was used or applied, in a manner which results directly or indirectly in conferring any benefit, amenity or perquisite (whether converted into money or not), on any interested person as specified in sub-section (3) of section 13 ? If so, details thereof.

18. Amount deemed to be income of the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 if sub-section (3) of section 11 is made applicable.

19. The income that would have been assessable if the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 had not enjoyed the benefit of section 10(23C)(vi) or (via).

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place............

Date.............

....

Signature

....

Designation

....

Full Address

Notes:

1. The application form should be sent to the Central Board of Direct Taxes through the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in serial number 1 of this Form. Four copies of the application form along with the enclosures should be sent.

2. Copies of the following documents should be annexed:-
   (i) Deed of trust/memorandum and articles of association/other documents evidencing legal status of the enterprise;
   (ii) a list of major office bearers including settlor/members of the Governing body;
   (iii) a photocopy of the latest certificate under section 80G issued by the Commissioner of Income-tax, if any;

FORM NO. 56E

[See rule 2E]

Application for approval under section 10(23G) of an enterprise wholly engaged in the business of developing, maintaining and operating any infrastructure facility

1. Name and address of the enterprise.

2. Date and place of formation/incorporation (enclose a copy of certificate of incorporation under Companies Act, 1956 or any other document evidencing the legal status of the enterprise).

3. Objects of enterprise :

   (i) Main objects

   (ii) Ancillary objects

4. Capital structure/shareholding pattern.

5. Details of project/agreement with the Central/State Government or local authority or statutory body for developing, maintaining and operating an infrastructure facility. (Enclose copy of project report/agreement).

6. Present nature of business activities
   Number of years in that business.

7. Names of the associate organisations/group companies/ subsidiaries.

8. Details of management:
   (a) Names of managers, directors with their experience, qualifications and profession

   (b) Names of the key personnel

   (c) Organisational structure

   (d) Board of directors of associate organisations, companies and their subsidiaries.

9. Names and addresses of the bankers.

10. Names and addresses of the auditors.

Verification

I, ________________________, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.
Verified today, the ____________day of _________19_____.

Place_____________
Date ____________

Signature and designation of the applicant

Notes:
The application form (in duplicate) should be sent to the Central Board of Direct Taxes along with the following documents, namely :-

(i) A copy of the deed of formation under which the enterprise is formed /a copy of the certificate of incorporation issued under the Companies Act, 1956/ other document evidencing the legal status of the enterprise;

(ii) Copies of balance sheets and profit and loss accounts for the periods referred to in rule 2E (2)(c) ;

(iii) Copy of project report/agreement with the Central/State Government or local authority or statutory body for developing, maintaining and operating an infrastructure facility.".

(S. BALASUBRAMANIAN)
Under Secretary to the Government of India

F. No. 142/52/98-TPL

Notification No. ...10721

Note.- The principal rules were published vide S.O. 969 (E) dated 26.3.1962 and last amended vide S.O. No. ..... dated ....

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

....

नई दिल्ली, तारीख 12 अक्तूबर, 1998

अधिसूचना

आय-कर

का0आ0 (अ)- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर ([illegible] संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 2खख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकख) और (iiiकङ)

के प्रयोजनों के लिए वार्षिक प्राप्तियों की राशि,- (1) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकख) के प्रयोजनों के लिए, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था के, जो शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए एकमात्र रूप से विद्यमान है, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् वार्षिक प्राप्तियों की राशि एक करोड़ रुपए होगी ।

(2) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकङ) के प्रयोजनों

और उपचार के लिए या चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वास के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की देखभाल के लिए अन्य संस्था का जो परोपकारी प्रयोजनों और न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए एकमात्र रूप से विद्यमान है, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् वार्षिक प्राप्तियों की राशि एक करोड़ रुपए होगी । ";

§ख§ नियम 2ग के पश्चात् निम्नलिखित ~~निम्नलिखित~~ नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2गक. धारा 10 के खंड §23ग§ के उपखंड §VI§ और §VIक§ के अधीन अनुमोदन ~~के~~ लिए मार्गदर्शक सिद्धांत - §1§ धारा 10 के खंड §23ग§ के उपखंड §VI§ और §VIक§ के अधीन विहित प्राधिकारी, ~~सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू~~ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 §1963 का 54§ के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होगा, जिसको उपनियम §2§ में यथाउपबंधित आवेदन किया जाएगा ।

§2§ अनुमोदन के लिए कोई आवेदन, धारा 10 के खंड §23ग§ के उपखंड §VI§ या §उपखंड §VIक§ में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्ररूप सं0 56घ में की जाएगी ।

§3§ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किसी एक बार में किया गया अनुमोदन तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ~~की~~ की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा ।";

§ग§ नियम 2घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2ङ. धारा 10 के खंड §23छ§ के अधीन अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत - §1§ अनुमोदन के लिए कोई आवेदन केन्द्रीय सरकार को किसी उद्यम द्वारा 1 जून, 1998 को या उसके पश्चात् प्ररूप सं0 56ङ. में किया जाएगा ।

§2§ उपनियम §1§ के अधीन अनुमोदन के लिए किए गए प्रत्येक

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति या उद्यम के गठन और इसकी विधिक प्रास्थिति के साक्ष्य को दर्शित करने वाले दस्तावेज की एकप्रति;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अवसंरचनात्मक सुविधा की बाबत परियोजना रिपोर्ट या करार की एकप्रति;

(ग) उस पूर्ववर्ती वर्ष के जिसमें आवेदन किया गया है ठीक पहले तीन पूर्ववर्षों के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा तथा उस पूर्व वर्ष का वह सुसंगत भाग जिसमें आवेदन किया गया है :

परन्तु यह कि उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन के साथ तीन पूर्व वर्षों के कम के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा जिसमें उस पूर्व वर्ष के जिसमें आवेदन किया गया है ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान उद्यम का गठन किया गया है तथा उस पूर्व वर्ष का सुसंगत भाग भी जिसमें आवेदन किया गया है, लगे होंगे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के खंड (23छ) के प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम का अनुमोदन करेगा, यदि ऐसा उद्यम पूर्ण रूप से किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है ।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी उद्यम का अनुमोदन करने से पूर्व उद्यम से ऐसे दस्तावेज (जिसमें संपरीक्षित वार्षिक लेखा सम्मिलित है) या जानकारी मांग सकेगा जिसको वह अपना यह समाधान करने के लिए आवश्यक समझे कि उद्यम पूर्ण रूप से किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है और यह कि सरकार भी ऐसी जांच कर सकेगी जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उद्यम का अनुमोदन करते या अनुमोदन से इंकार करते समय लिखित में आदेश पारित करेगी :

परन्तु यह कि अनुमोदन से इन्कार करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उद्यम को सुनवाई का एक अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(6) उपनियम (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार किया गया अनुमोदन तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा ।

(7) उपनियम (5) के अधीन अनुमोदित प्रत्येक उद्यम, लेखा बहियां बनाए रखेगा और ऐसी बहियों की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराएगा तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सम्यक रूप से संपरीक्षित रिपोर्ट जो ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक तारीख से पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार उपनियम (5) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन को वापस ले लेगा यदि उद्यम,-

(क) अवसंरचनात्मक सुविधा को चलाना बंद कर देता है ; या

(ख) उप नियम (7) की अपेक्षानुसार लेखा बहियों को बनाए रखने और किसी लेखाकार द्वारा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने में असफल रहता है; या

(ग) उपनियम (7) की अपेक्षानुसार संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "उद्यम" पद से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में पूर्ण रूप से लगा

(ध) "अवसंरचनात्मक सुविधा" पद का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (23ख) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में है ।"।

3. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में , प्ररूप सं० 56ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप सं० 56घ

(नियम 2गक देखिए)

........वर्ष के लिए धारा 10 (23ग) (vi) और (via) के अधीन छूट देने और या उसके जारी रखने के लिए आवेदन

1. धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

2. विधिक प्रास्थिति, यथा न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी / अन्य है । कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति / विधिक प्रास्थिति के साक्ष्य को दर्शित करने वाले सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें ।

3. क्रम संख्यांक 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के उद्देश्य ।

4. न्यासियों / कार्यालय पदधारियों के नाम और पते ।

5. भौगोलिक क्षेत्र जिसमें, क्रम सं० 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलाप किए जाते हैं । विभिन्न स्थानों में किए गए कार्य के ब्यौरे, शाखा कार्यालयों के पते तथा इन स्थानों में कार्यालय पद धारियों के

7. क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति आय के विनियोग के विशेष निर्देश से लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में यथा-उपदर्शित लेखा परीक्षा और क्रियाकलापों पर एक टिप्पण सहित पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा और तुलन पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें ।

8. क्या क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ने विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों को लागू होने वाले किसी विदेश से कोई संदान प्राप्त किया है ब्यौरे दें।

9. निर्धारण विशिष्टियाँ दें :-

(i) अधिकारिता का वार्ड / सर्किल और स्थायी लेखा संख्या/जी आई आर संख्या सहित विवरणी में दी गई और निर्धारित अंतिम आय ।

(ii) क्या आय धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त है ?

(iii) क्या क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की बकाया कोई कर वसूली आदि है ?

(iv) क्या कोई शास्तियाँ लगाई गई हैं / उद्गृहीत की गई हैं ?

10. कुल आय जिसके अंतर्गत क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की उस पूर्ववर्ती सुसंगत वर्ष के लिए जिसके लिए या जिससे छूट प्राप्त करने की वांछा की गई है, स्वैच्छिक अभिदान , यदि कोई है, है ।

11. क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के उद्देश्यों के लिए पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उपयोग की गई या उपयोग की गई समझी गई ऊपरनिर्दिष्ट आय की राशि (उपयोग की गई समझी गई आय का वही अर्थ है जो धारा 11 की उपधारा (1) और (1क) में है ।)

12. ऊपर स्तंभ 3 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए संचित राशि ।

13. (i) क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की निधियों का विनिधान या निक्षेप करने के ढंग के ब्यौरे जिसमें विनिधान की प्रकृति, मूल्य और उससे आय दर्शित होगी;

(ii) धारा 11 (5) में विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधान न की गई निधियों के ब्यौरे :

क्रम सं0	समुत्थान का नाम और पता	किसी कंपनी की दशा में उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और वर्ग	विनिधान की अंकित मूल्य	विनिधान से आय
1	2	3	4	5

14. (i) क्या क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था कोई कारबार चला रहे हैं ? (ब्यौरे दीजिए) ?

(ii) ~~उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए~~ क्या कारबार उसके उद्देश्यों की पूर्ति में आनुषंगिक है ?

15. अभिदानों की प्रकृति, मात्रा और मूल्य के ब्यौरे (रोकड़ से भिन्न और रीति जिसमें ऐसे अभिदानों का उपयोग किया गया है ।

16. धारा 13 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी हितबद्ध व्यक्ति से क्रम संख्यांक 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा या उसकी ओर से क्रय किए गए शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्ति के ब्यौरे ।

17. क्या क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय या किसी संपत्ति के किसी भाग का ऐसी रीति में उपयोग या विनिधान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धारा 13 की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट हितबद्ध किसी व्यक्ति पर कोई फायदा, सुविधा या परिलब्धि (चाहे उसको धन में संपरिवर्तित किया गया हो या नहीं) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदत्त होता है ? यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे ।

18. क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की समझी गई आय की राशि यदि धारा 11 की उपधारा (3) लागू की जाती है ।

19. वह आय जो निर्धारणीय रही होती यदि क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ने धारा 10(23ग) (1/i) या (1/ii) के फायदे का लाभ नहीं लिया था ।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान ....

तारीख ....

....
हस्ताक्षर

....
पद नाम

....
पूरा पता

टिप्पण :

1. आवेदन प्ररूप, इस प्ररूप के क्रम सं0 1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय

को भेजा जाना चाहिए । संलग्नकों सहित आवेदन की चार प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए ।

2. निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए :-

(i) न्यास का विलेख / ज्ञापन और उद्यम की विधिक प्रास्थिति को दर्शित करने वाले साक्ष्य के संगम अनुच्छेद / अन्य दस्तावेज ;

(ii) मुख्य कार्यालय पदधारियों की एक सूची जिसके अंतर्गत शासी निकाय के व्यवस्थापक / सदस्य हैं ;

(iii) आयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए धारा 80G के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र की एक फोटो प्रति, यदि कोई है ;

(iv) अंतिम तीन वर्षों के लिए पारित किए गए निर्धारण आदेशों की सही प्रतियाँ, यदि कोई है ;

(v) धारा 12 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यास / संस्था के आवेदन के प्रति निर्देश से आय-कर आयुक्त से संसूचना की फोटो प्रति, यदि कोई है ।

3. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की अपेक्षानुसार आवेदक कोई अन्य दस्तावेज या

प्ररूप सं० 56छ0

{ नियम 2छ0 देखिए }

अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में पूर्ण रूप से लगे किसी उद्यम के धारा 10{23छ} के अधीन अनुमोदन के लिए

आवेदन

1. उद्यम का नाम और पता :

2. विरचना / निगमन की तारीख और स्थान{कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति या उद्यम की विधिक प्रास्थिति के साक्ष्य को दर्शित करने वाले किसी अन्य दस्तावेज को संलग्न करें } :

3. उद्यम के उद्देश्य :

{i} मुख्य उद्देश्य :

{ii}समनुषंगी उद्देश्य :

4. पूंजी संरचना / शेयर धारण पैटर्न :

5. किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए केन्द्रीय /राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा कानूनी निकाय के साथ परियोजना / करार के ब्यौरे ।
{परियोजना रिपोर्ट / करार की प्रति संलग्न करें}।

6. कारबार क्रियाकलापों की वर्तमान प्रकृति
उस उद्यम में लगे वर्षों की संख्या ।

7. सहयोजित संगठनों / समूह कंपनियों /समनुषंगियों के नाम :

8. प्रबंध-माडल के ब्यौरे :

{क} प्रबंधकों, निदेशकों के नाम उनके अनुभव, अर्हताओं और वृत्ति सहित

{ख} मुख्य कार्मिकों के नाम

(घ) सहयोजित संगठनों, कंपनियों और उनके समनुषंगियों का निदेशक बोर्ड ।

9. बैंकरों के नाम और पते ।

10. लेखा परीक्षकों के नाम और पते ।

11. न्यायालय मामले / मुकदमेबाजी जिनमें पिछले तीन वर्षों से अंतर्वलित रहे हों ।

आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम

सत्यापन

मैं, ---------------------------- इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

तारीख ____________ को सत्यापित

स्थान -----------
तारीख ----------

आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पण :

आवेदन प्रारूप (दो प्रतियों में) निम्नलिखित दस्तावेजों सहित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजा जाना चाहिए, अर्थात् :-

(i) विरचना विलेख की एक प्रति जिसके अधीन उद्यम विरचित किया गया है / कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन जारी किए गए निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति / उद्यम की विधिक प्रास्थिति के साक्ष्य को दर्शित करने वाला अन्य दस्तावेज ;

(ii) नियम 280(2) (ग) में निर्दिष्ट अवधियों के लिए तुलनपत्रों और लाभ और हानि लेखाओं की प्रतियां।

(iii) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए केन्द्रीय / राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा कानूनी निकाय के साथ परियोजना रिपोर्ट / करार की प्रति।"।

(एस० बालसुब्रमण्यन्)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा० सं० 142/52/98-टीपीएल

अधिसूचना सं० 10721

टिप्पण - मूल नियम का०आ० सं० 969(अ), तारीख 26.3.1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का०आ०सं० -------, तारीख ---------- द्वारा किया गया था।